**हिरण्यकेशी (सर्फनाला)मध्यम प्रकल्प**
**ता. आजरा,जि.कोल्हापूर**
**प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता**

**महाराष्ट्र शासन**
**जलसंपदा विभाग**
**शासन निर्णय क्र. हिरण्यकेशी (सर्फनाला)/सु.प्र.मा./२०१०/१५१/(८६/१०)/म.प्र**
**मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२**
**दिनांक : २९/९/२०१०**

**पहावे :-** १) म.कृ.खो.वि.म./ निर्णय क्र./२९८/(२०६/९८)/म.प्र.१/सिंचन भवन,पुणे दि.१६/१०/१९९८

**प्रस्तावना :-** कोल्हापूर जिल्हयातील आजरा तालुक्यातील हिरण्यकेशी (सर्फनाला) मध्यम प्रकल्पास महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ निर्णय क्र. २९८/(२०६/९८)/म.प्र-१/सिंचन भवन, पुणे दि. १६/१०/१९९८ अन्वये (दरसुची १९९६-९७ वर आधारीत ) रुपये ३३००.४० लक्ष (रुपये तेहतीस कोटी चाळीसहजार फक्त) एवढया किंमतीस मुळ प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. तद्नंतर आतापर्यंतच्या कालावधीत दरसुचीवरील वाढीमुळे, भुसंपादन व पुनर्वसन वाढीमुळे, संकल्पचित्रातील बदला मुळे झालेली वाढ, इत्यादी कारणांमुळे प्रकल्पाचे किंमतीत वाढ झाली आहे. यासाठी कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांनी सादर केलेल्या प्रथमसुधारीत प्रशासकीय अहवालास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाचे विचाराधीन होता.

**शासन निर्णय :-**

शासनाकडून आता या निर्णयाव्दारे कोल्हापूर जिल्हयातील आजरा तालुक्यातील हिरण्यकेशी (सर्फनाला) मध्यम प्रकल्पाच्या कामासाठी सन २००८-०९ च्या दरसूचीवर आधारित रु. १४५७०.४८ लक्ष (रुपये एकशे पंचेचाळीस कोटी सत्तर लाख अठ्ठेचाळीस हजार फक्त) एवढया रकमेस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. त्यापैकी रु. १२०९७.६८ लक्ष (रुपये एकशेवीस कोटी सत्त्याणव लक्ष अडुसष्ठ हजार फक्त) कामाप्रित्यर्थ व रु. २४७२.८० लक्ष (रुपये चोवीस कोटी बाहत्तर लक्ष अंशी हजार फक्त) आनुषंगिक खर्च आहे. सोबत सहपत्र-१, मध्ये सुधारित उपर्शीर्षवार तरतूद व सहपत्र-२ मध्ये सुधारीत सर्वसाधारण गोषवारा दिला आहे.

१. सदर प्रकल्पाचे काम नियोजित वेळेत व सुधारीत प्रशासकीय प्रस्तावाच्या तरतुदीच्या मर्यादेत पूर्ण करणेत यावे.

२. या योजनेस प्रदान केलेली प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मध्यम प्रकल्प कार्यासनाच्या नोंदवही मध्ये अ.क्र.२ (२०१०-११) वर नोंदविण्यात आली आहे.

३. या प्रकल्पामुळे कोल्हापुर जिल्हयातील आजरा तालुक्यातील २६४४ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. प्रकल्पाचे लाभव्यय परिमाण १.५५ आहे.

४. या योजनेच्या कामावर होणारा खर्च लेखाशीर्ष आय-५ ४७०१ मोठे व मध्यम प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च ८० सर्वसाधारण, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुक (०२) (०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे या महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (

योजना अंतर्गत) (४७०१ एच ७६३ हिरण्यकेशी (सर्फनाला) मध्यम प्रकल्प याखाली खर्ची टाकावा व मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

हा निर्णय शासन पाटबंधारे विभाग निर्णय क्र. संकीर्ण १०९९/(१२६/९९)/मो.प्र(प्र) दिनांक १८/५/१९९९ च्या आदेशातील तरतुदीनुसार )आंतरवित्त सल्लागार तथा सह सचिव यांनी दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमीत करणेत येत आहे :-

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक २०१००९२९१९१६०३००१-असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने

**(र.स.गुजर)**
**शासनाचे अवर सचिव**

सहपत्र- वरीलप्रमाणे १ व २
प्रत सहपत्रासह अग्रेषित :-

महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर
वित्त विभाग (व्यय-१२),अर्थ-२,अर्थ-१०,व्यय ६ अ, मंत्रालय, मुंबई
नियोजन विभाग (कार्यासन १४६१), मंत्रालय, मुंबई
कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे
मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, पुणे
आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
अधीक्षक अभियंता, कोल्हापुर पाटबंधारे मंडळ, कोल्हापुर(सोबत सुधारीत अंदाजपत्रक)
कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प विभाग क्र.२, कोल्हापुर
स्वीय सहायक, मा.मंत्री (जलसंपदा) (कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळ) मंत्रालय, मुंबई
स्वीय सहायक, मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई
स्वीय सहायक, सचिव (जलसंपदा ), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
स्वीय सहायक, सचिव (लाभक्षेत्र विकास), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
मुख्य अभियंता (कृपातंल) व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
स्वीय सहायक,, उप सचिव (मोप्र-१), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
अवर सचिव (म.प्र), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
उप अभियंता (म.प्र), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
कार्यासने-जसंअ, निवस-१,अर्थ-१, पाटबंधारे विभाग, मंत्रालय, मुंबई
कार्यासन म.प्र.संग्रहार्थ
निवड धारिका

**तक्ता क्रमांक १**
**हिरण्यकेशा मध्यम प्रकल्प ता.आजरा, जि.कोल्हापुर**
**शासन निर्णय क्र. सुप्रमा/२०१०/१५१/(८६/१०)म.प्र.**
**दि. २९/९/२०१० चे सहपत्र**

**प्रथम सुधारीत अंदाजपत्रक उपशीर्षवार तरतुदी**

| अ.क्र. | उपशीर्ष | सुधारित प्रस्तावित अंदाजपत्रक (रुपये लक्ष) |
|---|---|---|
| १ | | ३ |
| १) | " अे " प्राथमिक सर्वेक्षण | ३०.०१ |
| २) | " बी " भूसंपादन | २११२.६१ |
| ३) | " सी " कामे | ९०२३.०४ |
| ४) | " डी " विमोचक | ४००.८६ |
| ५) | " ई " फॉल्स | ४३.८४ |
| ६) | " एफ " आर.एच.टी. कामे | ---- |
| ७) | " जी " ब्रिजेस | ---- |
| ८) | " एच " एस्केप | ---- |
| ९) | " के " इमारती | ---- |
| १०) | " एल " मातीकाम | ------ |
| ११) | " एम " वृक्षारोपण | ३.४९ |
| १२) | " ओ " संकिर्ण | ४०.६० |
| १३) | " पी " देखभाल व दुरुस्ती | ७१.८६ |
| १४) | " क्यू " हत्यारे व संयत्रे | ३६.३७ |
| १५) | " आर " दळणवळण | ३३५.०० |
| १६) | वितरीका भाग ३ | ----- |
| १७) | ा | ----- |
| | एकूण कामाप्रित्यथ्र | १२०९७.६८ |
| | आस्थापना व अनुषंगिक खर्च | २४७२.८० |
| | एकूण | १४५७०.४८ |

## तक्ता क्रमांक २

**हिरण्यकेशी मध्यम प्रकल्प, ता.आजरा, जि.कोल्हापूर**
**शासन निर्णय क्र.सुप्रमा/२०१०/१५१/(८६/१०)/म.प्र., दि. २०/०९/२०१० चे सहपत्र.**
**प्रथम सुधारित अंदाजपत्रक सर्वसाधारण संकलित गोषवारा**

| अ.क्र. | विवरण | रक्कम (रुपये लक्ष) |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| (अ) | प्रत्यक्ष खर्च<br>१) शीर्षकामे<br>२) कालवे | <br>१२०९७.६८<br>-- |
| | **एकूण (अ)** | **१२०९७.६८** |
| (ब) | अधिक<br>३) आस्थापना खर्च (ब-जमिन वगळून) २० टक्के<br>४) हत्यारे व अवजारे ३.५% दराने (ब जमीन क्यू हत्यारे वगळून)<br>५) लिव्ह व पेन्शनरी चार्जेस ०.२५ टक्के (आस्थापना खर्चावर)<br>६) संग्रहावरील तूट ०.२५% | <br>१९९७.०१<br>३४९.४८<br>४.९९<br>२६.०१ |
| | **एकूण (ब) (३+४+५+६)** | **२३७७.४९** |
| | **एकूण अ + ब** | **१४४७५.१७** |
| (क) | वजाती<br>१) विशेष टी अँड पी वाहनावर (७५%) वैयक्तिक वहाने वगळून येणाऱ्या रकमेवर<br>२) वैयक्तिक वाहनावर २०% दराने<br>३) तात्पुरत्या इमारतींच्या किंमतीवर १५% दराने | <br><br>४.७८<br>६.००<br>४.१० |
| | **एकूण वजाती** | **(-) १४.८८** |
| | **एकूण अप्रत्यक्ष खर्च (अ + ब) - क** | **१४४६०.२८** |
| (ड) | **अप्रत्यक्ष खर्च**<br>१) वाहीतीलायक क्षेत्राच्या ८.०० टक्के दराने जमीन महसूल<br>२) लेखा व परीक्षण खर्च<br>३) सचिवालय चार्जेस<br>(आस्थापनेच्या खर्चावर ०.५० टक्के दराने) | <br>०.३६<br>९९.८५<br>९.९९ |
| | **एकूण अप्रत्यक्ष खर्च** | **११०.२०** |
| | **प्रकल्पाची एकूण किंमत** | **१४५७०.४८** |